रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 1972/फाल्गुन 6, 1893

No. 45] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 1972/PHALGUNA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 25th February 1972

No. DRAWBACK/PN-15/72. Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 with immediate effect:—

Sub-serial No. 3903 and the entries relating thereto shall be deleted.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1972

सं० प्रतिग्रहायगी/पी० एन०-15/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क तिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के दिनांक 25 अगस्त, 1971 के राजपत्र, असाधारण, में काशित अधिसूचना सं० 52/पा० सं० 602/2/70-डी० वी० के०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय रकार, एतद्द्वारा, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-1 प्रकाशित सारणी में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होगे :—

उप-क्रम सं० 3903 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी ।

No. DRAWBACK/PN-16/72.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

After Sub-Serial No. 904 and the entries relating thereto, the following Sub-rial numbers and the entries shall be inserted, namely:

b-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback	With effect from
"905	Hookah Tobacco paste containing not less than 20% of tobacco by weight.	Rs. 0·15 per Kg.	25-9 71

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect to this Public Notice.

सं० प्रतिग्रहायगी/पी० एन०-16/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्रति दायगी नियमावली, 1971 (भारत के दिनांक 25 अगस्त, 1971 के भारत के राजपत्र असाधारण, प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 डी० वी० के०) के नियम 3 के अधीन, न्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रहायगी/ ी० एन०-1 में प्रकाशित सारणी में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 904 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उपक्रम सं० तथा प्रविष्टिया अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिग्रहदायगी की दर	निम्नलिखित तारीख से	निम्नलिखित तारीख तक
"905	हुक्का तम्बाकूवेस्त जिसमे भार के हिसाब से तम्बाकू की मात्रा 20 प्रतिशत से कम नही हो ।	0.15 पैसे किलोग्राम	25-9-71	

उपर्युक्त माल के सबध में व्यक्तिगत निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निर्धारित की गई सभी छाये की दरे इस सार्वजानिक सूचना के लागू होने पर वापस ले ली गई समझी जायेगी ।

No. DRAWBACK/PN-17/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 with immediate effect:—

For Sub-Serial No. 1103 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback.
1103	ALUMINA FERRIC	Rs. 14·00 per metric tonne.

M. PANCHAPPA,
Director (Drawaback).

सं० प्रतिग्रहदायगी/पी० एन०-17/72.——सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क (प्रतिग्रहदायगी नियमावली, 1971 (भारत के दिनांक 25 अगस्त, 1971 के राजपत्र, असाधारण, में प्रकशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-डी० बी० के०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय

सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 की सार्वजनक सूचना सं० प्रतिश्रदायगी/पी० एन०-1 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

उप-क्रम सं० 1103 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिश्रदायगी की दर
1103	एल्यूमिना फेरिक	14·00 रु० प्रति मीट्रिक टन

म० पंचप्पा,
निदेशक (प्रतिश्रदायगी)

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972